

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/ 2020/1055

दिनांक:- 06/01/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित विभिन्न आवासीय योजनाओं में अधिशेष आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों को त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए लागत में राहत प्रदान करने हेतु मण्डल की समस्त योजनाओं में ई-ऑक्शन/बुधवार नीलामी के पश्चात् शेष बचे आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों जिनको ई-बिड-सबमिशन/ई-ऑक्शन में सम्मिलित किया गया था। उन सभी अधिशेष आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों जिनकी लागत वैधता दिनांक 30-06-2020 तक निर्धारित की गयी थी। उनकी वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्धारित की गयी लागत दरों को कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए सभी अधिशेष आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों जिनकी लागत/न्यूनतम बिड मूल्य (MBP) की लागत वैधता कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/667 दिनांक 01-10-2020 के द्वारा दिनांक 30 जून 2021 तक स्थित (फ्रीज) गयी थी।

मण्डल के संचालक मण्डल की 244 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22-12-2020 में निर्णय की कार्यान्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 244.28 रखा गया। बैठक में प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों जिनको आमजन को आवंटन/निस्तारण हेतु ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव/ई-ऑक्शन में सम्मिलित किया गया था, उनमें से शेष बचे आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों की लागत स्थिर (फ्रीज) करने हेतु लिए गये निर्णय की कार्यान्तर स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(प्रवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0,
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक